पत्रांक– 01/स्टे०–03–21/16/क. 32/ए

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651–2400981, फैक्स:0651–2400982, ई–मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची दिनांक 12.06.2025

विषयः– **गुमला जिलान्तर्गत रायडीह प्रखण्ड के पतराटोली में निर्मित बख्तर साय स्टेडियम के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू० 65,28,700/– (पैसठ लाख अट्ठाईस हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–494/क्री०, दिनांक–03.09.2024 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं सक्षम स्तर द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर गुमला जिलान्तर्गत रायडीह प्रखण्ड के पतराटोली में निर्मित बख्तर साय स्टेडियम के जीर्णोद्धार कार्य हेतुरू० 65,28,700/– (पैसठ लाख अट्ठाईस हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०	*जिला*	*योजना का नाम*	*प्रशासनिक स्वीकृत राशि*
1.	गुमला	गुमला जिलान्तर्गत रायडीह प्रखण्ड के पतराटोली में निर्मित बख्तर साय स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्य	65,28,700/–
		कुल	**65,28,700/–**

(पैसठ लाख अट्ठाईस हजार सात सौ) रूपये मात्र।

3. व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–2026 के राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष 2204 – खेलकूद तथा युवा सेवाएँ– लघु शीर्ष – 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – उप शीर्ष – 56 – राज्य के विभिन्न स्टेडियमों एवं खेल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, सुसज्जीकरण एवं रख–रखाव – विस्तृत शीर्ष – 05 – निर्माण– प्राथमिक इकाई –43 – अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) इकाई मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा। (विपत्र कोड: 52S 22040079656000543)

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, गुमला होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, गुमला से की जायेगी।

5. उपायुक्त, गुमला द्वारा योजना का कार्यान्वयन पी०डब्लू०डी० कोड के आलोक में अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला द्वारा विषयांकित योजना से संबंधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुरूप ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. विषयांकित योजना दिनांक–31.03.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में ही कराया जाय ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।

D:\Brajesh 2025-26\Rajyadesh\April-25(C).docx

8. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व उपायुक्त, गुमला आश्वस्त हो लेंगे कि विषयांकित कार्यों में किसी प्रकार का दोहराव/दोहरीकरण नहीं है। किसी भी प्रकार के दोहरीकरण (Duplicacy) के लिए उपायुक्त, गुमला उत्तरदायी होंगे।

9. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरूद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।

10. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक– 17.04.98 एवं 1955, दिनांक–19.08.05, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

11. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

12. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

13. उपायुक्त, गुमला समय–समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए राशि का व्यय करेंगे तथा प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

14. योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

Manoj 12/6/25

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 32/रा.
रॉंची, दिनांक: 12.06.2025

प्रतिलिपिः– निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Manoj 12/6/25

सरकार के सचिव

D:\Brajesh 2025-26\Rajyadesh\April-25(C).docx